(b) what are the details of different benefits academic, job-reservation etc. available to candidates/members of these classes ?

THE MINISTER OF WELFARE SHRI SITARAM KESRI) : (a) The Government had notified lists of OBCs for 14 States namely Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Maharashtra, Punjab, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Uttar Pradesh, on 10th September 1993 vide Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) published in the Gazette of India Extraordinary part I-Section 1 No. 186, New Delhi, Monday-September, 13th 1993. Subsequently, the lists of OBCs for 4 States and 3 UTs namely, Orissa, Rajasthan, Tripura, West Bengal, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Pondicherry were notified on 19th October, 1994 vide No. 163, The Gazette of India-Extraordinary Part-I. Details of Castes/Communities included in these lists are available in the said Gazettes

(b) (i) The OBCs are entitled for 27% reservation in vacancies in civil services and posts under the Government of India subject to the exlusion of socially advanced persons/sections known as the 'Creamy Layer'.

(ii) Scheme of pre-examination coaching for Weaker Sections incuding OBCs is also implemented in order to allow them to compete on equal terms with other candidates in competitive examinations.

(iii) National Backward Classes Finance and Development Corporation has been set up with the objective of promoting economic development of Backward Classes by granting them financial assistance for self-employment ventures.

Newspaper report on auctioning of women

1681. DR. MURLI MANOHAR JOSHI : SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI :

Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Punjabi Kesari and Jagaran of September 20, 1994 to the effect that women are still being auctioned and suffer humiliation in the tribal areas of Thane; if so, what are the details thereof;

(b) whether Government are aware that the same kind of practices are still prevalent in other parts of the country; if so, what are the details thereof; and

(c) what steps have so far been taken and also proposed to be taken to eradicate the evil practices of humiliating women folk ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कल्याण योजनाओं के लिए आबंटित धनराशी का अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाना

1682. **श्री आस मोहम्मद** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए आबंटित धनराशी का कथित दुरूपयोग किए जाने या इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए किए जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो संबंधित राज्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है । और

(ङ) क्या उक्त धनराशी के समुचित उपयोग को सुनिश्चित किया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बंद्ध कार्यक्रमों की गहन मानीटरिंग और विचार विमर्श के बाद, यह नोटिस में आया है कि कुछ राज्यों को दिए गए केन्द्रीय अनुदान तत्काल व उचित रूप

से कार्यान्वयन एजेंसियों को नहीं भेजे जा रहे हैं और उसका उचित उपयोग भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जून/जुलाई, 1994 में यह ध्यान में आया कि बिहार में केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए दी गई लगभग 210 करोड़ रूपये की धनराशी का उपयोग उन रोजगारों के लिए नहीं किया गया जिसके लिए यह दी गई थी। इसमें विशेष सघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 70.5 करोड़ रुपये, आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता—98.84 करोड़ रुपये आदिवासी विकास के लिये संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान 14.44 करोड़ रुपये, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति 14.66 करोड़ रुपये शामिल हैं। दिनांक 10 अप्रैल, 1994 को टाइम्स आफ इंडिया में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि बिहार में राज्य सरकार ने 350 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों के वेतन व मजदूरी के भुगतान पर व्यय कर दी है। प्राप्त सूचना स्वयं कल्याण मंत्री और इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा भी मुख्य मंत्री के ध्यान में लाई गई लेकिन कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि निर्मुक्त करने अथवा इसके उपयोग के बारे में अब तक कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

यह बात भी सरकार के सामने लाई गई कि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अप्रैल, 1994 में राजस्थान विद्युत बोर्ड को विशेष केन्द्रीय सहायता से 20 करोड़ रुपये अग्रिम देने के लिए कहा गया था जो उस समय ऊपर्युक्त पड़ी थी और लगभग 40 करोड़ रुपये थी। जब इस मंत्रालय ने तत्काल वापसी के लिए दबाव डाला तो इस प्रकार अग्रिम स्वरूप दी गई धनराशि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा वापस ले ली गई और राजस्थान सरकार से यह कहा गया कि यह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रयोग के बारे में पूर्ण लेखा-जोखा प्रस्तुत करे।

असम सरकार ने जून, 1992 में राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से एक करोड़ रूपए का ऋण लिया। फिर कल्याण मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद यह धनराशी वापस लौटा दी गई है। यह बात भी सामने आई है कि पश्चिम बंगाल सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता को अपने पास एक वर्ष से अधिक समय तक रखती है और राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम को इसे 4-5 किस्तों में निर्मुक्त करती है। दिनांक 11-2-94 के टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र में हिमाचल प्रदेश में आदिवासी निधियों के प्रयोग के बारे में समाचार छपा है जिसका सत्यापन किया जा रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राथमिक रूप से कुछ राज्य सरकारों के अत्यन्त साधनों की कमी की स्थिति के कारण वे विशेष केन्द्रीय सहायता और अन्य केन्द्रीय अनुदानों का निर्मुक्ति में विलम्ब करते हैं और उन्हें सिविल डिपोजिटों अथवा निजी लेजर एकाउण्टों के रूप में रखते हैं।

कड़ी मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप जहां विशिष्ट मामले प्रकाश में आए हैं वहां उनसे सख्ती के साथ निपटा जा रहा है और बिहार तथा राजस्थान जैसे राज्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें तब तक कोई केन्द्रीय अनुदान नहीं दिया जाएगा जब तक वे पहले निर्मुक्त केन्द्रीय अनुदान के बारे में सरकार को संतोषजनक उपभोग प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित नहीं करते। इसके अलावा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सामान्य अनुदेश भी जारी किए गये हैं।

सरकार आशा करती है कि चुस्त मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा।